13-10-20.

श्रीमान महाशय उपरोक्त विषयान्तर्गत
निवेदन 1, 2, 4 में गाटा सं. दर्शाये जाने
किस प्रकार की जो आपत्ति निराकरण
मांगे मूल दावा प्रार्थना पत्र की विवेचना
पूरा ही करें। इस प्रार्थना पत्र के साथ
कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत
नहीं होती है अतः मूल में जारी सीलिंग
के स्थगन निरस्तीकरण Vacate की जाकर
प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर बाद की कार्यवाही
हेतु न्यायालय मूल दावा को सम्प्रेषण
रहे।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

अनुभाग
सं-19

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:55:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner